

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

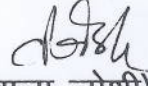
क्रमांक एफ.4(ई)/निप/(एच-365/94)/अलेसे -III/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, कनिष्ठ लेखाकार, आदेशो की प्रतीक्षा में मुख्यालय उपकोषालय पिड़ावा (झालावाड़) के विरुद्ध पुलिस थाना सांगानेर जयपुर(पूर्व) में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 286 दिनांक 10.03.2014 के अन्तर्गत धारा 420/406 आईपीसी में प्रकरण दर्ज होने एवं दिनांक 10.03.2014 से दिनांक 14.03.2014 तक पुलिस रिमांड पर रहने तथा वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में होने से कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक कोष चि/स्था/68 दिनांक 28.04.2014 के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं दुराचरण रिपोर्ट के आधार पर श्री चतुर्वेदी को दिनांक 10.03.2014 से एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है।

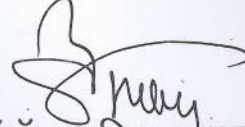
श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी का निलम्बन काल में मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर किया जाता है। श्री चतुर्वेदी को निलम्बन काल में नियमानुसार 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/निप/(एच-365/94)/अलेसे -III/ **17-18-25**
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- **30-4-14.**

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा
2. उपकोषाधिकारी, पिड़ावा (झालावाड़)
3. पुलिस उपायुक्त, जयपुर(पूर्व)
4. थानाधिकारी पुलिस थाना, सांगानेर, जयपुर(पूर्व)
5. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़/झालावाड़
6. उपनिदेशक(एसीपी), वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु — **4410**
7. श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, कनिष्ठ लेखाकार, उपकोषालय पिड़ावा (झालावाड़)
8. निजी सहायक, निदेशक महोदया
9. श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार/गोपनीय शाखा
10. पदस्थापन सीट/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)